...ालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

.... तारीख रजू............

दुलारी वगैरा **बनाम** हीरालाल वगैरा

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...6/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी ने पेश किया। उक्त पत्रावली को तहसीलदार [illegible] तलब की। कैविएट अप्रार्थी नं. 1,3,4 की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट ने कैविएट प.पत्र पेश किया हुआ है। [illegible] नकल तलब की। पत्रावली दिनांक 3.7.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO	2466 / 20/6/18
...7.18	पत्रावली उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1,4,5 की ओर से श्री राधेश्याम चौधरी उपस्थित। नं. 5 [illegible] तामील के [illegible] कि स्थगन एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। [illegible] की नकल [illegible]। पत्रावली दिनांक 6.7.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6.7.18	पत्रावली .... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 3.7.18 की पालना में पत्रावली सहित तलबी [illegible] दिनांक 12/7/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/9/2021	पत्रावली आज वकील प्रति० के प्रार्थना-पत्र हाजिर हेतु पेश हुई। वकील प्रति० ने प्रार्थना-पत्र पेश कर पत्रावली में नजदीक तारीख पेशी दिये जाने को निवेदन किया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रतिवादी वकील को जरिये नोटीस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जवाब/बहस हेतु मौका/समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना-पत्र नजदीक तारीख पेशी दिनांक 9/9/21 को पेश हो। SDO उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
9/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पर बहस/जवाब हेतु और समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस दिनांक 10/9/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
10/9/21	पत्रावली व प्रार्थना पेश हुई। प्रार्थना पत्र नजदीक तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र नजदीक तारीख पेशी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र 212 RTA दिनांक 24/9/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
24/9/21	[illegible] P.O. [illegible] अवकाश [illegible] वास्ते दिनांक 27/9/2021 को पेश हो।
27/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित/अजानी। वकील श्री भागचन्द जैन एड० ने अपनी अनुपस्थिति में एड० तेजसिंह राठौ को प्रतिनिधि-पत्र देते हुये मुकदमें के मेरी तरफ से श्री तेजसिंह राठौ को पैरवी के लिये नियुक्त किया गया। पैरवी स्वीकार की गई। अतः जाब ही प्रार्थना-पत्र 212 RTA पर बहस वकुलाय

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनी गई। पत्रावली ~~पर~~ बहस विद्वान अधिवक्ता ओं पर मनन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA सामलात साबित करने में असमर्थ रहे है। अतः सामलात का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्थगन आदेश 26-7-2018 रद्द किया जाता है। निर्णय पृथक को लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र कैलाश कुमार ईंक्स नम्बर 16 पेश हो तो मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 02/91/2018

वउनवान

1. दुलारी पुत्री हीरालाल पत्नी विनोद जाति ब्राहमण
2. भगवती पुत्री हीरालाल पत्नी राजेश जाति ब्राहमण
3. पिंकी पुत्री हीरालाल पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण
4. पवन पुत्री हीरालाल पत्नी विश्णू जाति ब्राहमण

   निवासीयान ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर हाल खैडाब्राहमण

   तहसील डीग जिला भरतपुर।
5. रजनी पुत्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी खेरली
6. जगदीशप्रसाद पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी

   तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. हीरालाल पुत्र गणेशीलाल जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
2. अशोककुमार पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
3. गोपेश पुत्र अशोककुमार जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
4. पंकज पुत्र अशोककुमार उम्र 13 साल जाति ब्राहमण नाबालिग जरिये

   सपरस्त पिता अशोककुमार प्रतिवादी सं0 2
5. सुशीला पत्नी हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
6. तहसीलदार कठूमर तहंसील कठूमर
7. उप पंजीयक कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री भागचन्द जैन – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 4

आदेश

दिनांक 27.09.2021

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2770, 2819, 2558, 2859 का 3/32 हिस्सा खसरा नम्बर 2747, 2813, 2843, 2845, 2869, 2899 का 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 960 का 1/16 हिस्सा खसरा नम्बर 2287 का 1/8 हिस्सा 2268 का 1/4 हिस्सा 2762 का 1/8 हिस्सा 2886/3951 का 1/4 हिस्सा बाके ग्राम सौंखरी तथा खसरा नम्बर 307 पूर्ण 318 का 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320 का 1/4

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हिस्सा वाके ग्राम मक्खनकानगला सायलान के दादा गणेशीलाल की पैदा कर्दा आराजी होने से संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा संयुक्त हिन्दु परिवार की में पोत्र पोत्रियों का बाई बर्थ (जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त है) इसी अधिकार के तहत सायलान को उनके दादा गणेशीलाल की पैदा कर्दा विवादित आराजी जो हाल में गैरसायल सं0 1के नाम खातेदारी में दर्ज है में 6/8 हिस्सा की आराजी गणेशीलाल के पोत्र पोत्री होने के कारण बाई बर्थ मिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है शेष 2/8 हिस्सा की आराजी गैरसायल सं0 1–2 की है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में सायलान एंव गैरसायलान के परिवार का सजरा अंकित किया है। जिसमें गणेशीलाल के दो पुत्र पूरनचन्द व हीरालाल तथा पूरनचन्द के दो पुत्र राजेश व सुभाश तथा हीरालाल के 8 वारिस दुलारी, भगवती, पिंकी, पवन, रजनी, अशोक, जगदीश व सुशीला अंकित किया है व कथन किया कि सायलान एंव गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है अर्थात गणेशीलाल वादीगण का दादा तथा सायलान गणेशीलाल के पोत्री पोत्र है। लेकिन गैरसायल सं0 1 ने अपने 1/8 हिस्सा की आराजी से अधिक आराजी का अर्थात विना किसी हक व अधिकार के खसरा नम्बर 2727, 2819, 2858, 2859 के 3/64 हिस्सा खसरा नम्बर 2747, 2813, 2843, 2845, 2569, 2899 के 1/16 हिस्सा खसरा नम्बर 960 के 1/32 हिस्सा खसरा नम्बर 2287 के 3/28 हिस्सा खसरा नम्बर 2268 के 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 2796 के 1/16 हिस्सा खसरा नम्बर 2886/3951 के 1/8 हिस्सा वाके ग्राम सौंखरी का दान पत्र तहरीरी दिनांक 18.05.2018 पंजीवद्व दिनांक 21.05.2018 को गैरसायल सं0 1 ने गैरसायल संख्या 3–4 के हक में तथा खसरा नम्बर 307 के 1/2 हिस्सा 318 के 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320 के 1/8 हिस्सा वाके ग्राम मक्खनकानगला का दान पत्र तहरीरी दिनांक 18.05.2018 व पंजीवद्व दिनांक 21.05.2018 को गैरसायल संख्या 3–4 के हक में तथा खसरा नम्बर 2287 वाके ग्राम सौंखरी के 2/7 हिस्सा को गैरसायल संख्या 1 ने दान पत्र तहरीरी दिनांक 18.05. 2018 पंजीवद्व दिनांक 28.05.2018 के जरिये गैरसायल सं0 5 के हक में विना मौके पर कब्जा संभलवाये दान कर दिया जो दान पत्र किता 3 गैरसायल सं0 1 ने गैरसायल संख्या 3–4–5 के हक में अपने हक हिस्सा की आराजी से अधिक आराजी के किये गये होने के कारण हक हकूक सायलान के 6/8 हिस्सा तक प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड प्रभावहीन है। गैरसायल संख्या 3–4 गैरसायल सं0 2 के पुत्र है तथा गेरसायलान सायलान के खिलाफ आपस में मिले हुये हैं जिन्होंने सायलान को विवादित आराजी वावत बाई बर्थ मिले खातेदारी अधिकारों को चुनौती देते हुये खुले आम धमकी दी है कि हम तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे 6/8 हिस्सा की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगे तुम्हें जवरन वेदखल कर हम खुद कब्जा करेगें दान पत्र किता 3 के आधार पर हम गेरसायल संख्या 6 से अपने नाम इन्तकाल तस्दीक करवायेगें तथा विवादित आराजी को गेरसायल सं0 7 से मिलकर दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सें0 1 ला0 5 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ग्राम सोंखरी व मक्खनकागला की आराजी को विवादित होना गलत दर्ज किया है। उक्त आराजी गैरसायल हीरालाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर गैरसायल सं0 1 का कब्जा चला आ रहा था। सायलान का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा और ना अव मौके पर है। पक्षकारान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नहीं है। यह सही है कि विवादित आराजी गणेशीलाल की खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में उसके दो लडके पूरणचन्द व हीरालाल को मिली थी लेकिन यह गलत है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होने के कारण पोत्र व पोत्रियों को जन्म सेही हक व अधिकार प्राप्त हो बल्कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में संशोधन करके नई धारा 6 (अ) जोडी गई थी जिस के तहत पैत्रिक आराजी में सन् 2005 के वाद पोत्रियों को अधिकार दिये गये है इससे पूर्व पोत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे जिस संशोधन का प्रभाव प्रोसपैक्टिव है। रिट्रोस्पैकिटव नहीं है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में तय कर दिया कि गैरसायल सं0 1 के पिता श्री गणेशीलाल सन् 1965 के आस पास फौत हो गये थे जिनके मरने पर उसका विरासत इन्तकाल उनके दो लडके पूरणचन्द व हीरालाल के नाम तस्दीक हो गया था जो गणेशीलाल संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व ही मर गये थे तथा मरने के बाद उनकी कृशि भूमि उनके दोनों लडको को प्राप्त हो गई थी। जिस कारण संख्या सं0 1 ला0 5 को मृतक गणेशीलाल की कृशि भूमि में कोई हक वो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। यदि गणेशीलाल संशोधित अधिनियम सन् 2005 के बाद मरते तो सायल सं0 1 ला0 5 करे हक वो अधिकार प्राप्त होते लेकिन गणेशीलाल सन् 1965 के आस पास फौत हो गये तथा उनकी सम्पत्ति उसके दो वारिसान को प्राप्त हो गई तो फिर सायलान को जन्म से पैत्रिक आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त नहीं होते और ना हो सकते। जिस कारण सायलान का विवादित आराजी में 6/8 हिस्सा नहीं है अैर ना सायलान का कब्जा है। सायलान ने तमाम हिस्से गलत अंकित किये है। सायला सं0 1 ला0 5 गैरसायल संख्या 1 की लडकिंया है जिन सभी लडकियों की शादी गैरसायल सं0 1 ने अपनी मेहनत वो कमाई की आमदनी से की थी। जो अपनी अपनी ससुराल में रह रहीं है। जिनका विवादित आराजी की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है। बल्कि हमेशा से गैरसायल सं0 1 का ही कब्जा चला आ रहा था गैरसायल सं0 1 वृद्व व्यक्ति है तथा गैरसायल सं0 1 का लडका जगदीश प्रसाद सायल सं0 6 शराबी व्यक्ति है जो गैरसायल सं0 1 व उसकी पत्नी सुशीला के साथ मारपीट करता है। जो शराब पीकर गैरसायल सं0 1 से विवादित आराजी को बय करने का दवाव डालता है। जिसने गैरसायल सं0 1 ला0 5 का जीना दुस्वार कर रखा है। जो वृद्व माता पिता की सेवा चाकरी नहीं करता है बल्कि गैरसायल सं0 2 ला0 4 ही सेवा चाकरी करते है जिनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर ही गैरसायल सं0 1 ने विवादित आराजी के दान पत्र स्वेच्छा से गैरसायल संख्या 2–3–4 के हक में कराये है। जिस वावत गैरसायल सं0 1 को अधिकार था। गेरसायल सं0 1 विवादित आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
कानूमर (अजमेर) राज०

खातेदार का तकार था तथा कब्जा चला आ रहा था। रजिस्टर्ड दान पत्र कानून के अनुसार कराये गये है। सायलान ने दान पत्र शून्य करार दिलाने के कोई आधार नहीं बताये है। रजिस्टर्ड दान पत्रों को निरस्त अथवा प्रभावहीन वो शून्य घोशित किये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सायलान रजिस्टर्ड दान पत्र से एग्रीब्ड है तो सायलान को दीवानी अदालत में चाराजोही करनी चाहिए। सायलान का विवादित आराजी के एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं है। गैरसायल सं0 3 ला0 5 को रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कराने का अधिकार है। रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर राजस्व कैम्प सौंखरी में दिनांक 14.06.2018 को इन्तकाल संख्या 3544, 3545 पटवारी द्वारा दर्ज कर दिये गये तथा भू0अ0 निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2018 को मिलान कर दिया गया तथा इन्तकाल संख्या 633 वाके ग्राम मक्खनकानगला दिनांक 13.06.2018 को दर्ज कर दिया वो भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 18.06.2018 को मिलान कर दिया गया लेकिन तहसीलदार कठूमर श्री सुरेशचन्द शर्मा सायल सं0 1 का रिश्तेदार है जिन तहसीलदार साहव का लडका सायल सं0 1 की लडकी का पति है जिस कारण तहसीलदार कठूमर द्वारा रिश्तेदारी के कारण राजस्व कैम्प में गैरसायल सं0 3 ला0 5 के हक में इन्तकाल तस्दीक नहीं किया गया तथा पटवारी हल्का वो कानूनगौ ने मना कर दिया जिस कारण आज तक इन्तकाल फैसल नहीं किये गये। जवकि इनके आगे व पीछे वाले इन्तकाल फैसल कर दिये गये। इन्तकाल तस्दीक होने से सायलान को किसी तरह का नुक ाान व क्षति नहीं होती है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल नियमानुसार तस्दीक होते है जिस कारण गैरसायलान को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। एक खातेदार का तकार को किसी भी तरह से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। गैरसायल सं0 5 ला0 7 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 ला0 2025, नकल दान पत्र दिनांक 14.06.2018 किता 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम सौंखरी व ग्राम मक्खनकानगला की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों व संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये सायलान को निम्न तीन विन्दुओं को अपने हक में सावित कराना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस सुनी गई। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में सायलान का 6/8 हिस्सा है तथा गैरसायल सं0 1–2 का 2/8 हिस्सा है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होने से उसमें सायलान को, जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। सायलान अपने हिस्सा की आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

काविज रहकर काश्त कर रहे है। दान पत्र गैरसायल सं0 1 ने गैरसायल संख्या 3 ला0 5 के हक में अपने हिस्से से अधिक हिस्सा के कराये है जो दान पत्र नुमाइसी है। गैरसायलान सायलान को उनके हिस्से से वेदखल करना चाहते है तथा नुमाइसी दान पत्रों के आधार पर इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कराना चाहते है तथा विवादित आराजी को रहन वय करना चाहते है इस वजह से गेरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने अधिवक्ता सायलान के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बध व सरोकार नहीं है। सायला सं0 1 ला0 5 गैरसायल सं0 1 की पुत्रियां है जिनकी शादी हो चुकी है तथा अपनी अपनी ससुराल में रहती है। विवादित आराजी पर उनका कभी कब्जा नहीं रहा। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था जिसे अपनी आराजी को दान करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है दान पत्र गैरसायल सं0 1 ने स्वेच्छा व सहमति से किये है। रजिस्टर्ड दान पत्रों को चुनौती देने का सायलान को अधिकार नहीं है यदि सायलान दान पत्रों से एग्रीब्ड हैं तो उन्हें सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दान पत्रों को निरस्त व शून्य करार देने का अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड दान पत्र व कब्जे के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो चुके है। भू0अ0नि0 द्वारा मिलान किया जा चुका है। जिन्हें गेरसायलान फैसल कराने का अधिकार रखते है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। गैरसायलान ने अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम सौंखरी, छाया प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2018, छाया प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018, छाया प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2018 छाया प्रति रसीद छाया प्रति रसीद दिनांक 25.07.2018 छाया प्रति पत्र जिला कलक्ट्रर अलवर पेश की है जा शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर 2016 (2) **RRT** सुप्रिम कोर्ट पेज 1309 से 1318 व 2020 (1) **RRT** पेज 508 से 515 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 ला0 2025, नकल दान पत्र दिनांक 14.06.2018 किता 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम सौंखरी व ग्राम मक्खनकानगला की छाया प्रति पेश की है। पत्रावली के तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी गणेशीलाल की खातेदारी की आराजी थी। प्रार्थना पत्र को तय करने के लिये हमें यह देखना है कि क्या हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक गणेशीलाल की आराजी में सायलान का हिस्सा बाई बर्थ मिलता है या नहीं। इस पर अधिवपक्ता गैरसायलान ने जोर देते हुये हमारा ध्यान कानूनी दृश्टातो की ओर आकर्शित करते हुये बताया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में संशोधन करके नई धारा 6 (अ) जोडी गई थी जिसके तहत पैत्रिक आराजी में सन् 2005 के बाद पोत्रियों को अधिकार दिये गये थे जिस संशोधन का प्रभाव **PROSPECTIVE** है **RETROSPECTIVE** नहीं है। गणेशीलाल का स्वंर्गवास 1965 के आस पास हुआ है। इस कारण सायलान का गणेशीलाल की आराजी में हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। इसके लिये विद्वान अधिवक्ता सायलान ने कानूनी नजीरों की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राजस्थान

निवासी सौंखरी तहसील

पेश की है। यह सही है कि गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था। गैरसायल सं0 1 द्वारा गैरसायल सं0 3 ला0 5 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड दान पत्र कानूनी है या गैरकानूनी तथा इन दान पत्रों को निरस्त/शून्य करार देने का अधिकार अदालत हाजा को है या नहीं। सायलान का विवादित आराजी में सायलान का हक हिस्सा व अधिकार बनता है या नहीं ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जायेगें। विद्वान अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की है जिनके अवलोकन से दान पत्रों का इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया है लेकिन अदालत हाजा के स्थगन आदेश का नोट है। जिस कारण इन्तकाल स्वीकार नहीं हो रहे है। अधिवक्ता गैरसायलान ने गैरसायल सं0 1 द्वारा सायल सं0 6 के खिलाफ थानेदार कठूमर को दी गयी शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2018 जिला कलक्ट्रर अलवर के समक्ष पेश किये गये शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018 व उसकी कार्यालय रसीद जिला कलेक्ट्रर अलवर को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2018 व उसकी कार्यालय रसीद इन्तकाल संख्या 633, 3544, 3545 को तस्दीक कराने वावत प्रार्थना पत्र जिला कलेक्ट्रर अलवर दिनांक 25.07.2018 जिला कलेक्ट्रर अलवर के कार्यालय से जारी तहसीलदार कठूमर को पत्र दिनांक 02.08.2018 की छाया प्रति पेश की है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि, अधिवक्ता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आदि का गहनता से अध्ययन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी हाल के अनुसार गैरसायल सं0 1 द्वारा गैरसायल सं0 3 ला0 5 के हक में कराये गये दान पत्रों के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो चुका है लेकिन स्थगन आदेश की वजह से फैसल नहीं हुये। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें अपार हानि असुविधा व क्षति हो रही है। सायलान के हक हिस्सा व अधिकार मूल वाद के निस्तारण के समय तय होगें। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति व असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है तथा रजिस्टर्ड दान पत्र निरस्ती का अधिकार दीवानी न्यायालय को है उपरोक्त विस्तृत विवेचन से प्रथम दृश्ठा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्थगन आदेश 26.07.2018 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 27.09.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)